पत्रांक 100 /—

पत्रांक 304 /न०प० परि० नवा०/2020 दिनांक – 19/8/2020

नगर पालिका परिषद नवाबगंज (बरेली)

मानचित्र स्वीकृति अनुज्ञा पत्र

श्री सर्वेश्वर श्री कृष्ण पाल गंगवार पु० श्री रोशन लाल गंगवार
नि० मुहल्ला रामा नगर, पी०डी० पांडेय बाईपास रोड, बरेली।
नवाबगंज (बरेली)
प्रस्तावित निर्माण स्थल का पता:- श्री पोल्ट्री फार्म मिडिंग फॉर ब्रॉयल डेस्टीब्यूट ऑफ फार्म
ग्राम चौरिया नवाबगंज, बरेली।

महोदय,

आपके द्वारा ——/आबादी में गाटा सं० 395 ग्राम/सं० चौरिया में आवासीय भवन/व्यावसायिक/शिक्षण संस्थान भवन/ ~~अन्य भवन~~/गोदाम ——— निर्माण सम्बन्धी प्रस्तुत मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

1. आप द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना होगा। एक वर्ष के अन्दर निर्माण पूर्ण न होने की दशा में एक वर्ष की अवधि के उपरान्त मानचित्र का नवीनीकरण कराना होगा। यह अवधि स्वीकृति अवधि के अन्दर आवेदन करने पर तीन बार बढ़ाई जा सकती है।
2. प्रस्तुत मानचित्र पर निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के द्वारा वैधानिक संस्थानों पर निर्माण सम्बन्धी शर्तों व नियमों के अन्तर्गत दी जाती है।
3. भवन निर्माण नगर पालिका परिषद नवाबगंज के सम्पत्ति/प्रबंधन में निहित भूमि/नजूल भूमि/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की भूमि को छोड़कर करना होगा।
4. भूमि सम्बन्धी कोई विवाद होने की दशा में मानचित्र स्वीकृति स्वयं निरस्त समझी जायेगी।
5. नगर पालिका परिषद नवाबगंज/ग्राम निर्माण विभाग की सड़क अथवा नाली पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा भवन का निर्माण उपरोक्त मार्गों की भूमि अथवा नाली से 1.00 मी. हटाकर किया जायेगा।
6. नगर पालिका परिषद की नाली से भवन की जलनिकासी का प्रबन्ध प्रार्थी का स्वयं कराना होगा।
7. भवन के अन्दर कंबल फार्मेसी सौचालय का निर्माण किया जायेगा तथा टैंक का निर्माण प्रार्थी को अपनी भूमि में कराना होगा।
8. भवन निर्माण के समय पालिका के अधिकारी/कर्मचारी को भवन निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।
9. अपने भवन के आगे सुगारीपन कराना अनिवार्य है।
10. भवन निर्माण की स्वीकृति भूमिधरी/प्रबन्ध पत्र/किराया पत्र/लीज पत्र पर प्रदान की जाती है।
11. आपके भवन की सीमा लाल रंग से दर्शायी गई है, आपको प्रारंभिक दशा में उसी सीमा में निर्माण कराना होगा।
12. भवन का निर्माण बिल्डिंग नेशनल कोड के (भूकम्परोधी) मानकों के अन्तर्गत कराना होगा तथा भवन की चार दिवारी के अन्दर रेनहार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होगा। अग्निशमन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है।
13. एनजीटी के मानकों नियमों व प्रतिबन्धों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
14. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली से यू०पी० टाउन प्लानिंग एण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना स्वयं की जिम्मेदारी होगी जो कि अनिवार्य है।
15. नेशनल एण्ड स्टेट हाइवे द्वारा निर्धारित दूरी पर निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।
16. धारा 143 जैडए०एल०आर०एम०ए० एक्ट। प्रस्तावित निर्माण की भूमि उपजिलाधिकारी से आकस्मिक संशोधन कराना अनिवार्य है।
17. प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति संलग्न अनुज्ञा पत्र पर उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जाती है, निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मानचित्र लिपिक,
नगर पालिका परिषद
नवाबगंज (बरेली)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नवाबगंज (बरेली)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

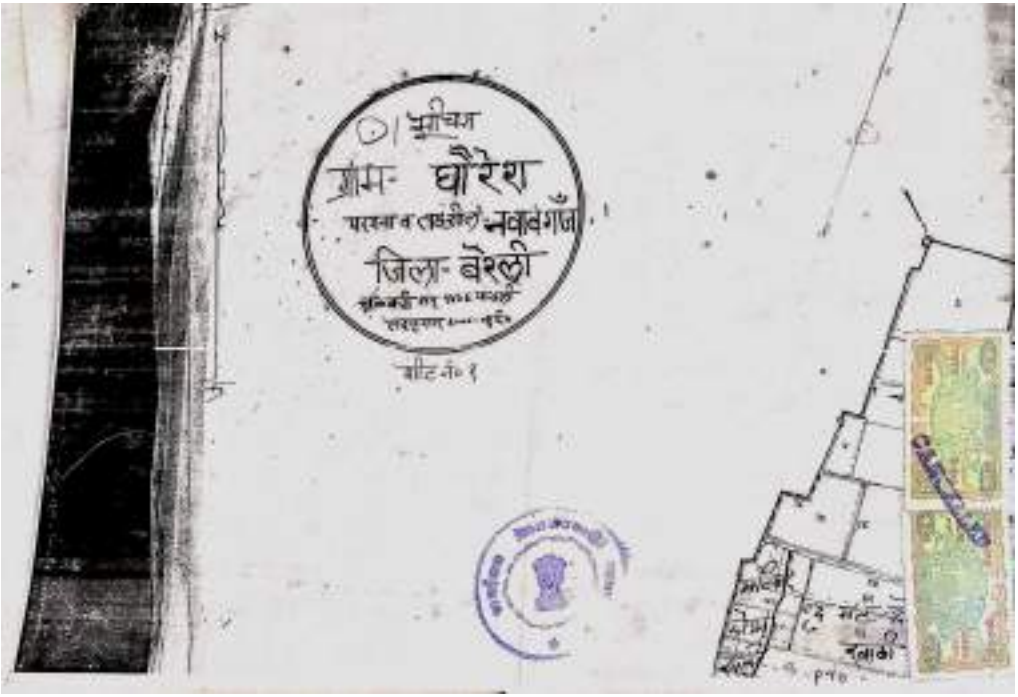

Scanned with CamScanner